



1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या-2 का आवासीय मकान ग्राम वाटेरा में पुरानी आबादी भूमि में बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी-झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, कासीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़िया लुहारों या जिनके आवास बाढ़ के कारण बह गये हैं व भविष्य में रहने योग्य नहीं रहे हैं को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(पीसी)/परावि./आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गों को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और वे इस नियम में भूखण्ड पाने के पात्र हैं। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)परावि./पीसी/आम्/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नहीं हो। अप्रार्थी संख्या-2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड है या नहीं, की जांच किये बिना ही ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के तहत प्लान तैयार किये बिना ही पट्टे जारी किये हैं। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों से आबादी विस्तार हेतु आवंटित आबादी भूमि का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए उक्त नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया है, जो गलत है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह ब्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा में आबादी विस्तार हेतु खसरा संख्या 382, 697 व 1148 रकबा क्रमशः 12.01 बीघा, 1.13 बीघा, 0.07 बीघा में से 5 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा द्वारा दिनांक 11.8.2016 को आवंटित की गई थी एवं आवंटन की शर्त अनुसार उक्त आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन करवाकर राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत भूखण्ड पाने की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों के पात्रता की जांच करवाकर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टे जारी किये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती है। अप्रार्थी संख्या-2 भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने का पात्र व्यक्ति था, जिसके पात्रता की जांच कर नियमानुसार भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत वर्णित श्रेणी के व्यक्तियों को 300 वर्गगज तक की भूमि निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटित किये

.....पेज तीन पर

अतः जिला कमिश्नर  
सिरोही (राज.)

एन का प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या-2 भी उक्त नियम 158 में वर्णित श्रेणी का गरीब व भूमिहीन व्यक्ति है जिसके पास प्रश्नगत पट्टे के अलावा अन्य कोई आवासीय भूमि/नकान नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 पशुपालन कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट अर्थात् 150 वर्गगज से कम आबादी भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा आबादी में आवंटित उक्त आवासीय भूखण्डों का कुछ व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिये जाने के संबंध में एक शिकायत हुई, जिसकी जांच अधिकारी द्वारा कुल 24 व्यक्तियों के सामूहिक बयान लिये जाकर पट्टों को गलत जारी होना बताया है। जांच अधिकारी ने सही रूप से जांच किये बिना ही इन पट्टों को गलत जारी होना बताया है। यदि अप्रार्थी संख्या-2 को उक्त प्रस्ताव की पालना में उक्त नियम 158 के तहत पट्टे देने थे और नियम 157 के तहत पट्टा जारी कर दिया है तो इस प्रश्नगत पट्टे की भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक पर कोई फर्क नहीं रहता है। जांच कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है उस गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर यह गलत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है। अप्रार्थी संख्या-2 लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है एवं भूमिहीन व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या-2 के पास स्वयं का कोई नकान नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी उक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर पट्टा जारी करने में कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोष नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नहीं था। कानून की स्थिति यह है कि 100 दोषी व्यक्ति छुट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारूप में नहीं होकर विभागीय पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने स्वयं का सत्यापन प्रमाण अंकित नहीं किया है तथा न ही निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में जो प्रस्ताव परित किया है उसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नहीं दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नहीं है। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2021(1)DNJ(Raj.) Page 186-188 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा, विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीयन भी करवाया है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) अन्य पक्ष की सुनो गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में पट्टा

—पेज चार पर

2  
श.र. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

विलेख संख्या 12013 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गमीटर तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, माडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे दाइग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेंगे।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित किया गया था, जबकि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में पट्टा जारी किया गया है, जो उपखण्ड प्रसारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक राजस्थ/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचायत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौक से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते हैं, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट को छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नहीं किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नहीं, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह

....पेज पांच पर

आते. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखती है। इससे, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन की पात्रता की जांच किये बिना ही अप्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत बैठक में निर्णय लेते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री कंतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पण्डवाडा समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का संयुक्त जंच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या-2 के प्लान के पुराने आवास बने हुये हैं जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर भूखण्डों की अवहलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसार अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 12013 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खोड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिरोंही